

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गंगा पंप नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर
(E-mail:-eeshivnarayanpur@gmail.com)

भाड़े पर वाहन लेने हेतु पुर्न अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना (NIQ)-11/2026-27

पत्रांक:-1453

शिवनारायणपुर

दिनांक 01-09-2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गंगा पंप नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर के अन्तर्गत प्रमण्डलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणीयों/अवर प्रमण्डलों/प्रशाखाओं के निरीक्षण एवं उच्चधिकरीयों की बैठकों में भाग लेने हेतु इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर एक या एक से अधिक अद्द बोलेरो/स्कार्पियों के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 21.09.2026 को अपराह्न 03.00 बजे तक गंगा पंप नहर प्रमण्डल, शिवनारायणपुर कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 03.30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशन दाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

कोटेशन की शर्त:-

1. कोटेशनदाताओं का वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क0सं0	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़ा सभी करें यथा GST,IT etc. सहित।

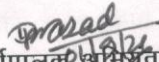
- भाड़े पर वाहन मार्च, 2027 तक के लिए लिया जाएगा। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
- वाहन का मॉडल नवीनतम एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
- वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ- सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
- नियमानुकूल सभी प्रकार के करें एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
- वाहन का कागजात, टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। मालिक/फर्म का जी0एस0टी0, पैन कार्ड, वाहन का वैध निबंधन पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन होना अनिवार्य है।
- वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेंस एवं वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
- वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
- वाहन के उपयोग के विरुद्ध मासिक किराया ईधन रहित देय होगा।
- वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईधन रहित भुगतान किया जाएगा।
- वाहन ईधन रहित (चालक सहित) मासिक का न्यूनतम दर (संबंधित जिला में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से कम या बराबर) के कोटेशन दाता के साथ रूपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाएगा, जिसका वहन वाहन मालिक को करना होगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कमी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
- वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
- वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो भी अधिक हो मान्य होगा।
- आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग खरीफ अवधि में दिन एवं रात दोनों समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा। इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।
- वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।



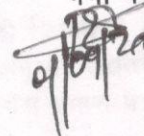
16. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुणे दर से कटौती कर ली जाएगी।
17. यदि किसी कारणवश वाहन मालिक/फर्म वाहन को एकरारनामा अवधि में आपूर्ति नहीं रखना चाहे तो उन्हें एक माह पूर्व कार्यालय को नोटिस करना बाध्यकारी होगा एवं नोटिस अवधि तक कर्तव्य निर्वहन हेतु एकरारित वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित रखना अनिवार्य होगा।
18. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
19. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
20. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष में रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा।
21. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त कमांक 1 से 21 तक शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं कमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 21.09.2026 को अपराह्न 04.00 बजे वैद्य कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा।

शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा कार्यालय कक्ष में संपर्क किया जा सकता है।


कार्यपालक अधिकारी

गंगा प्रम नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर
(भागलपुर)



बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गंगा पंप नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर
(E-mail:-eeshivnarayanpur@gmail.com)

भाड़े पर वाहन लेने हेतु पुर्न अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना (NIQ)-11/2026-27

पत्रांक:-

शिवनारायणपुर

दिनांक

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गंगा पंप नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर के अन्तर्गत प्रमण्डलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणीयों/अवर प्रमण्डलों/प्रशाखाओं के निरीक्षण एवं उच्चधिकरीयों की बैठकों में भाग लेने हेतु इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर एक या एक से अधिक अदद बोलेरो/स्कार्पियों के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 21.09.2026 को अपराह्न 03.00 बजे तक गंगा पंप नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 03.30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशन दाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

कोटेशन की शर्तें:-

1. कोटेशनदाताओं का वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क0सं0	वाहन का प्रकार	ईंधन रहित मासिक भाड़ा सभी करों यथा GST,IT etc. सहित।

2. भाड़े पर वाहन मार्च, 2027 तक के लिए लिया जाएगा। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
3. वाहन का मॉडल नवीनतम एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ- सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
5. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
6. वाहन का कागजात, टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। मालिक/फर्म का जी0एस0टी0, पैन कार्ड, वाहन का वैध निबंधन पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन होना अनिवार्य है।
7. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेंस एवं वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
8. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
9. वाहन के उपयोग के विरुद्ध मासिक किराया ईंधन रहित देय होगा।
10. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जाएगा।
11. वाहन ईंधन रहित (चालक सहित) मासिक का न्यूनतम दर (संबंधित जिला में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से कम या बराबर) के कोटेशन दाता के साथ रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाएगा, जिसका वहन वाहन मालिक को करना होगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
12. वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
13. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो भी अधिक हो मान्य होगा।
14. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग खरीफ अवधि में दिन एवं रात दोनों समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा। इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।



16. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुणे दर से कटौती कर ली जाएगी।
17. यदि किसी कारणवश वाहन मालिक/फर्म वाहन को एकरारनामा अवधि में आपूर्ति नहीं रखना चाहे तो उन्हें एक माह पूर्व कार्यालय को नोटिस करना बाध्यकारी होगा एवं नोटिस अवधि तक कर्तव्य निर्वहन हेतु एकरारित वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित रखना अनिवार्य होगा।
18. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
19. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
20. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष में रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा।
21. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त कमांक 1 से 21 तक शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं कमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 21.09.2026 को अपराहन 04.00 बजे वैद्य कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा।

शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा कार्यालय कक्ष में संपर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता

गंगा पम्प नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर
(भागलपुर)

पत्रांक:- 1453

शिवनारायणपुर

दिनांक 01-09-2026

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को हार्ड कॉपी (पी0डी0एफ0) एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता

गंगा पम्प नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर
(भागलपुर)